

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

5

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपर्युक्त (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु० से अधिक नहीं है

10 (2) जहां कुल आय 50,000 रु० से अधिक है किंतु 60,000 रु० से अधिक नहीं है

(3) जहां कुल आय 60,000 रु० से अधिक है किंतु 1,50,000 रु० से अधिक नहीं है

(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक है

15

कुछ नहीं ;

उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु० से अधिक हो जाती है;

1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

19,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में से,-

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो साठ हजार रुपए से अधिक है, से अधिक साठ हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

25

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है

कुल आय का 10 प्रतिशत ;

30 (2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है

1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है

3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

35 प्रतिशत ।

संपूर्ण कुल आय पर

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

30 प्रतिशत ।

45

संपूर्ण कुल आय पर

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 35 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुद्धान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा	5
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुद्धान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुद्धान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए, प्राप्त फीसें, और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।
आय-कर पर अधिभार	
प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।	10
भाग 2	
कतिपय दशाओं में रुपत पर कर की कटौती की दरें	
ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:-	15
आय-कर की दरें	
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,-	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,-	
(i) "प्रतिभूतियों पर व्याज" से भिन्न व्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय व्याज के रूप में आय पर -	10 प्रतिशत ;
(अ) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिवेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	25
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिवेंचर, जहां ऐसे डिवेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	30
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,-	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,-	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ड में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ई) सरकार या किसी भारतीय समुद्धान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय व्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ज) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(जु) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ए) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुद्धान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय व्याज के रूप में आय पर	45
(आ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(इ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ नहीं हैं]	30 प्रतिशत ;
(उ) अन्य संपूर्ण आय पर	20 प्रतिशत ;
2. कंपनी की दशा में,-	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,-	

	आय-कर की दरें
5	(i) “प्रतिभूतियों पर व्याज” से भिन्न व्याज के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ; (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ; (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ; (iv) किसी अन्य आय पर 20 प्रतिशत ;
10	(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,- (i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ; (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ; (iii) सरकार या किसी भारतीय समुद्धान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय व्याज के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ; (iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुद्धान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार की बाबत अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञाप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—
15	(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है 30 प्रतिशत ; (आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है 20 प्रतिशत ; (v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख) (iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]-
20	(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ; (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है 30 प्रतिशत ; (इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है 20 प्रतिशत ; (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुद्धान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुद्धान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,-
25	(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ; (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है 30 प्रतिशत ; (इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है 20 प्रतिशत ; (vii) दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ नहीं है] 20 प्रतिशत ; (viii) किसी अन्य आय पर 40 प्रतिशत ।
30	स्पष्टीकरण - इस भाग की मद 1(ख) (i) के प्रयोजन के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।
35	आय-कर पर अधिभार
40	(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए,— (i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुंदुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ; (ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ; और (iii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,
45	अधिभार बढ़ा दिया जाएगा । (आ) इस भाग की मद 2 के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3**कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें**

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों से कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत “अग्रिम कर” नहीं है या धारा 115क या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खख या धारा 115ड या धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत ऐसे “अग्रिम कर” पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपर्युक्त (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कुत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;	5
(2) जहां कुल आय 50,000 रु० से अधिक है किंतु 60,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 60,000 रु० से अधिक है किंतु 1,50,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	
(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक है	19,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ।	10

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में से,-

(i) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8के अधीन परिकलित आय-कर के रिबिट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित 15 अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, उनसे भिन्न, जो मद (i) में उल्लिखित है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, से अधिक आठ लाख पचास हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल 20 रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;	25
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;	
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।	

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	35 प्रतिशत ।	35
-------------------	--------------	----

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।	30
-------------------	--------------	----

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से 45 परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 35 प्रतिशत ;	50
--------------------------	------------------------	----

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में-

(i) कुल आय के उत्तरे भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुद्धान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुद्धान से प्राप्त स्वामिक्ष ; या

5 (ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुद्धान से किए गए, किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुद्धान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

10 प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 4

[धारा 2(11)(ग) वेखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

15 **नियम 1**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

20 **नियम 2**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

25 **नियम 3**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

30 (क) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जिसमें निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत अपकेन्द्रित लेटेक्स या सिनेक्स या लेटेक्स आधारित क्रेप (जैसे पीला लेटेक्स क्रेप) या भूरा क्रेप (भू भूरा क्रेप, पुनः मशीन से तैयार क्रेप, धूम आवरित क्रेप, सपात छाल क्रेप) या तकनीकी रूप से ब्लाक रबड़ के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की आय समझा जाएगा;

35 (ग) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों 40 के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत की बाबत पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

45 **नियम 7**—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कठौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

50 (i) 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

